न्यायालय श्री नरेश कुमार मालव, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 20/2017

1. धन्ना पुत्र स्व0 मन्ना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू, हाल निवासी–विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. मंगला पुत्र स्व0 मन्ना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू, हाल निवासी–विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. गंगाराम पुत्र स्व0 मन्ना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू, हाल निवासी–विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. रामप्रसाद पुत्र स्व0 कल्याण, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू, हाल निवासी–विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
5. रमेश पुत्र स्व0 मन्ना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू, हाल निवासी–विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. डल्ला पुत्र स्व0 काना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तह0–चाकसू।
2. कैलाश पुत्र स्व0 जगन्नाथ, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू हाल निवासी ग्राम विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. सीताराम पुत्र स्व0 जगन्नाथ, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू हाल निवासी ग्राम विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
4. जयनारायण पुत्र स्व0 जगन्नाथ, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू हाल निवासी ग्राम विशनपुरा, तहसील–चाकसू।
5. छौटीलाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू हाल निवासी ग्राम विशनपुरा, तहसील–चाकसू।
6. पप्पूलाल पुत्र स्व0 जगन्नाथ, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू हाल निवासी ग्राम विशनपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
7. हरिनारायण पुत्र स्व0 जगन्नाथ, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम धोराला, तहसील–चाकसू हाल निवासी ग्राम विशनपुरा, तहसील–चाकसू।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 16.10.2017 जो निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, चाकसू बमिसल संख्या 178/2015 की पालना में तस्दीक किया गया)

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री एन.एल. शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् सं0 1 लगायत 7 की ओर से।
3. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

पटवारी हल्का बल्लूपुरा ने ग्राम–धोराला की आराजी खसरा नं0 कुल किता 36 रकबा 11.63 हे0 का नामान्तरकरण उप खण्ड अधिकारी, चाकसू के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2016 की पालना में नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किया हैं जिसे तहसीलदार, चाकसू की आज्ञा दिनांक 16.10.2017 द्वारा स्वीकार किया गया हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित हैं। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई साक्ष्य का न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई समुचित अवसर प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर पद का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आज्ञा पारित की हैं। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 16.10.2017 उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 की पालना में स्वीकार की गई है। रेस्पोडेन्ट् सं0 1 ने वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स व अपीलान्ट्स मुतालिक खसरा नम्बर 188, 189, 193 लगायत 211, 214 लगायत 216, 432, 442, 443, 449, 450, 460, 461, 472 लगायत 475 व 477 कुल किता 36 रकबा 11.63 हे0 ग्राम–धोराला, तहसील–चाकसू दिनांक 09.06.2015 को पेश किया जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.05.2016 वास्ते प्रतिवादी का तामील नियत थी। वाद पत्रावली कैम्प बाडा पदमपुरा के लिए नियत की गई जिसके नोटिस अपीलान्ट्स को नहीं मिले। ऐसी स्थिति में जानकारी के अभाव में अपीलान्ट्स कैम्प बाडा पदमपुरा उपस्थित नही हो पाए और इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट् सं0 1 बसाज रेस्पोडेन्ट् सं0 2 लगायत 7 ने मिलीभगत करते हुए आराजी स्वअर्जित (विक्रय पत्र बहक जगन्नाथ व मन्ना) को संयुक्त परिवार की मानते हुये 1/3 हिस्सा वादी रेस्पोडेन्ट् सं0 1 व 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट् सं0 2 लगायत 7 व अपीलान्ट् के 1/2 हिस्सा की जगह 1/3 किये जाने पर सहमति दे दी। परिणामतः अपीलान्ट्स की सहमति नही होने के बावजूद अपीलान्ट्स के 1/2 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्सा किये जाने का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2016 पारित कर दी। इस इकतरफा व विधि–विरूद्ध पारित की गई आज्ञा व डिक्री

व अवसर दिये तहसीलदार, चाकसू ने गुपचुप रूप से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा पारित की गई आज्ञा दिनांक 04.06.2016 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। चूंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही भी न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स को तहसीलदार द्वारा पारित की गई नामान्तरकरण आज्ञा दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर ने अपीलान्ट्स द्वारा उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 को आज्ञा दिनांक 18.06.2018 द्वारा निरस्त किया गया है। अतः जब मूल आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है तो अवैध रूप से पारित की गई आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 को निरस्त किये जाने के पश्चात् नामान्तरकरण सं0 218 दिनांक 16.10.2017 का कोई वैधानिक अस्तित्व नही रह जाता है। इस प्रकार जिस आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 218 स्वीकार किया गया है वह आज्ञा व डिक्री ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील में निरस्त की जा चुकी है तो नामान्तरकरण का रिकार्ड पर रखा जाना अवैध हो जाता है और माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 18.06.2018 की पालना में निरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावे अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 16.10.2017 नामान्तरकरण संख्या 218 ग्राम–धोराला निरस्त फरमाई जावें ।

रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 लगायत 7 के विद्वान् अभिभाषक श्री एन.एल शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। अपीलाधीन आज्ञा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हुऐ सक्षम प्राधिकारी उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा वादी का दावा, दिनांक 04.06.2016 को दावा डिक्री किये जाने के परिणामस्वरूप इसकी अनुपालना में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सक्षम न्यायालय की आज्ञा व डिक्री के अनुसरण में स्वीकार किया गया है न्यायालय की आज्ञा व डिक्री के अनुसरण में नामान्तरकरण खोलकर स्वीकार किये जाने हेतु तहसीलदार बाध्य है किसी को नोटिस देने की आवश्यकता नही थी। आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 को

किया गया है। अपील के निर्णय में अपीलान्ट्स धन्ना वगैरह के अधिकार तय नही किये गये है और न ही वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट्स के हक–हकूक को हजफ किया गया है। प्रकरण को पुनः सुनवाई कर निर्णित किये जाने की आज्ञा पारित की है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स का नियमित वाद जैरकार है। पक्षकारान के हक–हकूक नियमित वाद में तय होंगे। अतः नियमित वाद के लम्बित रहने से अपीलाधीन आज्ञा को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि नामान्तरकरण को निरस्त किया गया तो अनावश्यक मुकदमेंबाजी की श्रृंखला बढेगी।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन हैं कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई हैं। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 की अनुपालना में नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर निर्णय फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के कॉलम संख्या 14 व 16 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 के आधार पर चुनौतिधीन नामान्तरकरण संख्या 218 खोला जाकर स्वीकार किया गया है। उप खण्ड अधिकारी, चाकसू की आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 को राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 18.6.2018 द्वारा निरस्त किया गया है तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः निस्तारण की आज्ञा दी है इस प्रकार जब मूल आज्ञा व डिक्री को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है और राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 18.06.2018 को अपीलेट न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त कराया गया हो ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है तो राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा व डिक्री दिनांक 04.06.2016 के आधार पर स्वीकार किये गये चुनौतिधीन नामान्तरकरण संख्या 218 को राजस्व अभिलेख पर रखे जाने का कोई वैधानिक आधार नही है और नामान्तरकरण संख्या 218 को निरस्त किया जाना न्याय–संगत है। अतः विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा नामान्तरकरण संख्या 218 निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

29/10/18

(नरेश कुमार मालव)
अति. कलक्टर (द्वितीय)